

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर जयपुर ।

राजस्थान राज्य के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश/अनुमोदन अनुसार देय निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधाओं का विवरण

नवीनतम स्थिति दिनांक 12.03.2024

| क्र.सं. | श्रेणी | देय सुविधा | पात्रता /याता का आधार | वाहन श्रेणी जिसमें निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधा देय है। | वर्तमान में देय सुविधाक हॉ से कहाँ तक | सुविधा कब से देय हुई |
|---------|--|------------|---|--|---|----------------------|
| 1 | पत्रकार | निःशुल्क | डी.पी.आर से जारी आदेशानुसार अधिकृत पत्रकार को निगम से जारी /RFID कार्ड एवं यात्रा कपून के आधार पर | साधारण, द्रुतगामी सेमी डीलक्स ,डीलक्स बस | केवल राजस्थान एवं दिल्ली तक की यात्रा | वर्ष –1974 |
| 2 | अधिस्वीकृत पत्रकार | निःशुल्क | RFID कार्ड के आधार पर | वातानुकूलित/वोल्वों वाहनों में । | राजस्थान राज्य की सीमा व दिल्ली तक यात्रा | 17.6.2016 |
| 3 | स्वतन्त्रता सैनानी | निःशुल्क | राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी /RFID कार्ड | समस्त वाहन श्रेणी (वातानुकूलित बसों में यात्रा दिनांक 08.01.2014 से स्वीकृत) | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 01.04.1987 |
| 4 | स्वतन्त्रता सेनानी का एक सहयोगी | निःशुल्क | ----- | कम सं. 3 के अनुसार यथावत । | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 07.05.1994 |
| 5 | स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाएँ | निःशुल्क | राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी /RFID कार्ड | कम सं. 3 के अनुसार यथावत । | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 04.05.1989 |
| 6 | स्वतन्त्रता सैनानी की विधवा का एक सहयोगी | निःशुल्क | ----- | कम सं. 3 के अनुसार यथावत । | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 02.03.2007 |

| | | | | | | |
|----|---|----------|---|--|---|------------|
| 7 | (i) युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने | निःशुल्क | सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी पेंशन पत्रादि के आधार पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर | साधारण, द्रुतगामी एवं डीलक्स वाहने | केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र में। | 8/7/1999 |
| | (ii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बाद विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों /अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने | | | (डीलक्स बसों में यात्रा सुविधा दिनांक 15.04.2013 से स्वीकृत) | | 15.04.2013 |
| | (iii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बाद विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के माता-पिता | | | | | 15.07.2013 |
| 8 | राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढने वाली आदिवासी बालिकाएँ | निःशुल्क | विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii /RFID कार्ड के आधार पर | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं | राजस्थान राज्य क्षेत्र में घर से स्कूल तक आने जाने हेतु | जून, 1994 |
| 9 | पदम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति | निःशुल्क | महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी पदम पुरस्कार के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर जारी /RFID कार्ड के आधार पर | वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित हैं। | 24.05.2010 |
| 10 | पदम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का एक सहयोगी | निःशुल्क | ----- | वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित हैं। | 06.04.2011 |
| 11 | राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को यात्री किराया में रियायत | निःशुल्क | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रपत्रों के अनुसार निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री | राजस्थान राज्य सीमा में | 4.2.2020 |
| 12 | अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में राज्य के पदक विजेता | निःशुल्क | खेल स्पर्धा का मूल प्रमाण पत्र जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर, जारी परिचय पत्र /RFID कार्ड के आधार पर | समस्त वाहन श्रेणी(सुपर लकजरी बसों के अतिरिक्त) | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | 10.08.2010 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|------------|
| 13 | राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति नोट:-दिनांक 08.01.2014 से राज0 पुलिस के साथ BSF, CRPF, & RAC को भी इसमें सम्मिलित किया गया । | नि:शुल्क | अवार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर से जारी /RFID कार्ड के आधार पर | वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/6/2011 |
| 14 | राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति जो वर्तमान में सेवारत नहीं है का एक सहयोगी | नि:शुल्क | ----- | वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 30.08.2011 |
| 15 | सशस्त्र सैना के शौर्य पदक धारक | नि:शुल्क | अवार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर से जारी /RFID कार्ड के आधार पर | वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 20.5.2020 |
| 16 | 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनो (महिला/पुरुष) को मुफ्त यात्रा एवं एक सहयोगी को 50 प्रतिशत की छूट । | स्वयं को नि:शुल्क, सहयोगी को 50: प्रतिशत छूट | 80 वर्ष व उससे अधिक आयु होने का निर्धारित प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर | समस्त वाहन श्रेणी | केवल राजस्थान राज्य सीमा तक यात्री किराया में | 17.04.2018 |
| 17 | UPSC/RPSC/RSMSSB द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु नि:शुल्क यात्रा । | नि:शुल्क | आयोजित परीक्षा के प्रवेश पत्र,साक्षात्कार हेतु प्राप्त पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निवास स्थान से साक्षात्कार स्थल तक नि:शुल्क यात्री सुविधा । | साधारण एवं द्रुतगामी | निवास स्थान से साक्षात्कार स्थल तक | 22.5.2018 |
| 18 | सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों एवं प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स को नि:शुल्क यात्रा । | नि:शुल्क | आयोजित परीक्षा के प्रवेश पत्र,एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निवास स्थान से परीक्षा स्थल तक नि:शुल्क यात्री सुविधा । | साधारण एवं द्रुतगामी | निवास स्थान से परीक्षा स्थल तक | 16.4.2021 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|---|--|--------------------------------|------------|
| 19 | राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत विभिन्न श्रेणी के युवा | निःशुल्क | 1.राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार प्राप्ति का प्रमाण पत्र 2. आधार कार्ड की प्रति। 3. मूल निवास प्रमाण पत्र। | साधारण एवं द्रुतगामी | राजस्थान राज्य क्षेत्र में | 01.04.2023 |
| | 1. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, | | | | | |
| | 2.राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता, | | | | | |
| | 3.राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना कैडेट्स | | | | | |
| | 4.राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एन.सी.सी. कैडेट्स | | | | | |
| 5.राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत स्काउट्स एण्ड गाईड्स | | | | | | |
| 20 | नेत्रहीन /अंधता | निःशुल्क | नेत्रहीन/अंधता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम से जारी /RFID कार्ड पर | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | वर्ष –1974 |
| 21 | नेत्रहीन /अंधता का एक सहयोगी | निःशुल्क | ----- | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | 09.03.2005 |
| 22 | श्रवण बाधित | निःशुल्क | प्राधिकृत विषय विशेषज्ञ चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | 03.08.2010 |
| 23 | विकलांग (अस्थि)/ चलन निःशक्तता | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत। | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | 03.08.2010 |
| 24 | मानसिक विमन्दिता/मंदता | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत। | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में। | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | 31.08.1998 |
| 25 | मानसिक विमन्दिता/मंदता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी | निःशुल्क | ----- | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | 03.08.2010 |
| 26 | कम दृष्टि निःशक्तता | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत। | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में। | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | 03.08.2010 |

| | | | | | | |
|----|---|----------|-------------------------------|---|---------------------------------|------------|
| 27 | मानसिक रूग्णता | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में । | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 03.08.2010 |
| 28 | मानसिक रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी | निःशुल्क | ----- | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में । | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 03.08.2010 |
| 29 | कुष्ठ रोग मुक्त | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | समस्त वाहन श्रेणी | केवल राजस्थान राज्य सीमा तक | 01.04.2023 |
| 30 | स्वलीनता | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 31 | मल्टीपल स्कलरोसीस | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 32 | प्रमस्तिष्क घात | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 33 | क्रोनिक न्यूरोलाजिकल कण्डीशन | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 34 | बौनापन | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 35 | हीमोफिलिया /अधिरक्त म्राव | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 36 | तेजाब हमला पीडित | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 37 | पार्किनास रोगी | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 38 | बहुनिःराक्ता (अन्धता एवं बहरा) | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 39 | स्पेसिफिकलर्निंग डिसेबिलीटी | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 40 | थैलसिमिया | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |
| 41 | मासपेशीय दुर्विकास | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत । | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है । | 7/5/2021 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------|--|--|--|------------|
| 42 | सिकल सैल डिजीज | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत। | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | 7/5/2021 |
| 43 | वाक् एवं भाषा निःशक्ता | निःशुल्क | क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत। | साधारण एवं द्रुतगामी | जहाँ तक निगम वाहने संचालित है। | 7/5/2021 |
| 44 | एड्सरोगी(IMMUNO COMPROMISED) | यात्री किराया में 75%छूट | चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री | घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु। | 25.08.2003 |
| 45 | कैंसर रोगी | यात्री किराया में 75%छूट | चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री | घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु। | 1/5/1984 |
| 46 | असंक्रामक कुष्ठ रोगी | यात्री किराया में 75%छूट | चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में। | घर से अस्पताल तक आने जाने तक | 01.04.1987 |
| 47 | थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी | यात्री किराया में 50%छूट | ----- | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में। | रोगी के साथ घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु | 25.08.2003 |
| 48 | हीमोफिलिया (Hemophilia) रोगी का एक सहयोगी | यात्री किराया में 50%छूट | | साधारण एवं द्रुतगामी | घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु। | 15.10.2014 |
| 49 | कैंसर रोगी का एक सहयोगी | यात्री किराया में 50%छूट | ----- | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री | रोगी के साथ घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु | 25.8.2003 |
| 50 | विद्यार्थी | यात्री किराया में 50% छूट | विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii /परिचय पत्र के आधार पर | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री | निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक 75 कि.मी. तक की परिधि में | 1974 |
| 51 | निगम के लाईसेन्स धारी कूलियों को नगरीय सेवाओं में यात्रा सुविधा | यात्री किराया में 50%छूट | निगम द्वारा जारी कुली लाईसेन्स के आधार पर | केवल नगरीय बस सेवाओं में | निगम की नगरीय बस सेवा में निवास स्थान से बस स्टेण्ड तक | 19.5.2008 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 52 | निम्न धार्मिक पर्व/लक़्खी मेंलों में निगम बसों में यात्रा करने पर यात्री किराया राशि में छूट:- | यात्री किराया में 50% छूट | मेला स्थल तक आन जाने वाले यात्रियों को | साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं | केवल राजस्थान राज्य सीमा तक | 01.04.2023 |
| | 1.कैलादेवी (करौली) | | | | | |
| | 2.झील का बाडा (भरतपुर) | | | | | |
| | 3.रामदेवरा (जौधपुर) | | | | | |
| | 4.पुष्कर (अजमेर) | | | | | |
| | 5.उर्स मेला (अजमेर) | | | | | |
| | 6.खाटूश्यामजी (सीकर) | | | | | |
| | 7.सालासर बालाजी (चूरु) | | | | | |
| | 8.गोगामेड़ी (हनुमानगढ) | | | | | |
| | 9.बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर) | | | | | |
| | 10.रणथम्भौर गणेशजी (सवाईमाधोपुर) | | | | | |
| | 11.डिग्गी कल्याण जी मेला (टोंक) | | | | | |
| | 12.भृतहरि/पाण्डूपोल मेला (अलवर) | | | | | |
| | 13.बुढाडा जोहड गुरुद्वारा (श्रीगंगानगर) | | | | | |
| | 14.फाल्गुन (मुकाम) (बीकानेर) | | | | | |
| 15.सांवलिया सेठ –जलझूलनी एकादशी मेला (चित्तौडगढ) | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--|---------------------|---|------------|
| 53 | महिला | यात्री किराया में 50% छूट | महिला यात्री । | समस्त वाहन श्रेणी । | केवल राजस्थान राज्य सीमा तक | 23.06.2023 |
| 54 | 60 वर्ष से 80 वर्ष तक आयु के वरिष्ठ नागरिक | यात्री किराया में 50% छूट | 60 वर्ष से 80 वर्ष तक आयु होने का निर्धारित प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर या निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर | समस्त वाहन श्रेणी । | केवल राजस्थान राज्य सीमा तक | 12.03.2024 |
| 55 | आदिवासी जन जाति क्षेत्र के आदिवासियों को | यात्री किराया में 50% छूट | चुनाव आयोग का पहचान पत्र/बी.पी.एल. कार्ड/राशन कार्ड अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में से कोई एक (आदिवासी होने का प्रमाण पत्र) | साधारण सेवाएं | आदिवासी क्षेत्रों में संचालित स्थानीय साधारण सेवा की बसों में | 23.02.2008 |

उक्त के अतिरिक्त निम्न पुलिस/सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु पर उनकी पत्नी तथा आश्रित बच्चों को निगम बसों में निःशुल्क सुविधा की अनुमति दी गई :-

| | | | | |
|---|--|----------|--|------------|
| 1 | कॉस्टेबल स्वर्गीय श्री चन्द्रभान | निःशुल्क | | 30.07.2010 |
| 2 | पुलिस निरीक्षक स्वर्गीय श्री फूल मोहम्मद | निःशुल्क | | 20.04.2011 |
| 3 | स्व. श्री दुर्गालाल कीर सुरक्षा कर्मी | निःशुल्क | | 13.10.2011 |
| 4 | स्व. श्री निहाल सिंह का. नि.न. 185 | निःशुल्क | | 29.12.2011 |
| 5 | स्व.श्री विजेन्द्र सिंह का नि. चालक | निःशुल्क | | 20.06.2012 |